**सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

**(2021-2022)**

**सत्रहवीं लोक सभा**

# 95

**पचानवेवां प्रतिवेदन**

[राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने पचपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई ।]

(**05.08.2022** को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**अगस्त 2022/ श्रावण 1944 (शक)**

**विषय-सूची**

**पृष्ठ**


| | | |
|---|---|---|
| सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की संरचना | | (तीन) |
| **प्राक्कथन** | | (पांच) |
| **<u>प्रतिवेदन</u>** | राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने पचपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई । | 1 |


**<u>परिशिष्ट</u>**


| | | |
|---|---|---|
| **<u>परिशिष्ट -एक</u>** | समिति द्वारा अपने पचपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण । | 3 |
| **<u>परिशिष्ट -दो</u>** | सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 01.08.2022 को हुई तेरहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण। | 8 |

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

लोक सभा

(2021-2022)

श्री रितेश पांडेय - सभापति

**सदस्य**

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. चौधरी मोहन जटुआ
7. श्री चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

**सचिवालय**

1.श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव

2.श्री सुन्दर प्रसाद दास - निदेशक

3.श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

**प्राक्कथन**

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में समिति द्वारा अपने 55वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में यह पचानवेवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. 55वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) 15.12.2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) ने 04.04.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए थे, जिसमें 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाया गया था। समिति ने 01.08.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए समिति से जुड़े लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों की सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

**नई दिल्ली**
**04 अगस्त 2022**
**13 श्रावण 1944 (शक)**

**रितेश पांडेय**
**सभापति,**
**सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**
**लोकसभा**

**<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022), लोक सभा</u>**

**राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति द्वारा अपने पचपनवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।**

समिति का यह प्रतिवेदन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016, 2016-2017,2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 53वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है, जिसे दिनांक 15.12..2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. समिति ने अपने 55वें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में पांच टिप्पणियाँ/सिफारिशें की थीं। उपर्युक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी पांच सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई उत्तर 04.04.2022 को प्राप्त हुए थे। तदनुसार, 55वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण **<u>परिशिष्ट</u>** में दिया गया है।

**3. मंत्रालय ने, अपने की गई कार्रवाई उत्तर में कहा है कि एनडीटीएल, खेल विभाग (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय) के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में लेखापरीक्षा में समय लगने के कारण संसद के समक्ष रखने में विलंब हुआ। मंत्रालय ने बताया है कि वे समय-समय पर आधिकारिक तौर पर अनुरोध करके और अनुस्मारक देकर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लेखा परीक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। समिति को यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-**

2021 से, एनडीटीएल के खातों को टैली सिस्टम पर कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और इसलिए, भविष्य में एनडीटीएल के लेखाओं के संकलन में कोई विलंब होने की संभावना नहीं है।

4. समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए की गई कार्रवाई उत्तर से यह भी नोट किया कि 2021 के दौरान, शासी निकाय की बैठक में वास्तविक निर्धारित तिथि से दो महीने से अधिक की देरी से हुई, जिसके कारण, संसद के समक्ष अपेक्षित दस्तावेजों को रखने में देरी हुई है। हालांकि, मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर के माध्यम से समिति को अवगत कराया है कि इस समिति द्वारा अपने मूल प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार, एनडीटीएल के अपेक्षित दस्तावेज और इन दस्तावेजों को लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए एनडीटीएल के सक्षम प्राधिकारी की सभी बैठकें समय पर आयोजित की जाएंगी। हालांकि, एनडीटीएल द्वारा यथासूचित किए गए इन सभी प्रयासों के बावजूद, समिति पाती है कि एनडीटीएल के 2020-2021# के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को खाते युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा 31.12.2021 की निर्धारित तिथि के भीतर लोकसभा के सभा पटल पर नहीं रखा गया है। यह एनडीटीएल द्वारा कथित रूप से अब तक किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता और इस संबंध में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन दोनों पर संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए, समिति युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) को एनडीटीएल, नई दिल्ली के अपेक्षित दस्तावेज संसद के आगामी मानसून सत्र में लोकसभा के समक्ष रखने और यह भी सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि वर्ष 2021-2022 बाद से न केवल एनडीटीएल, बल्कि इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर लोकसभा के समक्ष रखे जाएँ।

| | |
|---|---|
| नई दिल्ली | रितेश पांडेय |
| 01 अगस्त 2022 | सभापति, |
| 10 श्रावण 1944 (शक) | सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति |
| | लोकसभा |

---

*# राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली की 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेख 19.07.2022 को लोकसभा के पटल पर रखे गए।*

<u>**परिशिष्ट -एक**</u>

<u>**(प्रतिवेदन को पैरा 02 देखिए)**</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), 17वीं लोक सभा के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला उत्तर

## <u>राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली</u>

### (सिफारिश क्रम सं. 18)

समिति जांच करती है और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले को नोट करती है, तथा पाती है कि वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 तक के आवश्यक दस्तावेजों को 06 माह से 13 माह (लगभग) के विलंब से संसद के समक्ष रखा गया था। समिति यह भी पाती है कि वर्ष 2019-2020 के आवश्यक दस्तावेजों को अब तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है ।

समिति, मंत्रालय/एनडीटीएल से एनडीटीएल के वर्ष 2019-2020 के आवश्यक दस्तावेजों को बिना किसी और विलंब के सभा पटल पर रखने तथा वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को विलंब से सभा पटल पर रखने की निरंतर प्रवृत्ति को समाप्त करने की सिफारिश करती है ।

### <u>सरकार का उत्तर</u>

वर्ष 2019-2020 के लिए एनडीटीएल के संपरीक्षित लेखाओं के साथ वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों अर्थात् 09.08.2021 को राज्यसभा में और 05.08.2021 को लोकसभा में रखे गए थे।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष विलम्ब से रखने की सतत प्रवृत्ति को समाप्त् करने की सिफारिशों के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि इस तरह की देरी सीएजी के कार्यालय में लेखापरीक्षा प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण होती है । मंत्रालय और एनडीटीएल लेखापरीक्षा के अनुसरण और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वटय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

**(सिफारिश क्रम सं. 19)**

समिति नोट करती है कि एनडीटीएल ने इन पांच वर्षों के लेखाओं के संकलन में अत्यधिक समय लिया था। इसके अलावा, इन पांच वर्षों में से, एनडीटीएल ने वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2018-19 के लेखाओं के संकलन के पश्चात इन्हें लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत करने में एक माह से अधिक का समय लिया। मंत्रालय द्वारा समिति को यह जानकारी दी गई है कि लेखाओं को टैली सिस्टम के साथ कंप्यूटरीकृत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, और यह भी कि उन्होंने तिमाही आधार पर लेखाओं को तैयार करना शुरू कर दिया है जिससे परिणामी विलंब समाप्त होगा।

समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि एनडीटीएल, जो कि सामान्य और अनुसंधान दोनों कार्यकलापों के लिए आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है, वह अपने लेखाओं के अनुरक्षण में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर रहा है । इसलिए, समिति, मंत्रालय/एनडीटीएल को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालय द्वारा ऊपर सुझाई गई उपचारात्मक कार्रवाई का उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी निकायों/संगठनों दवारा पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का निदेश देती है ।

**सरकार का उत्तर**

एनडीटीएल के लेखाओं को अब टैली सिस्टम पर कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तैयार किया गया है । इस प्रकार, भविष्य में प्रयोगशाला के लेखाओं के संकलन में कोई विलम्ब अपेक्षित नहीं है ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वटय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

**(सिफारिश क्रम सं. 20)**

मंत्रालय/एनडीटीएल ने यह बताया है कि उन्हें एनडीटीएल के दस्तावेजों का अनुमोदन कराने के लिए समक्ष प्राधिकारी की बैठक आयोजित करने संबंधी कोई प्रक्रियात्मक कठिनाई नहीं हुई है । समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने वित्त समिति, शासी निकाय और साधारण सभा की बैठकें आयोजित करने में हुए विलंब को भी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण बताया है ।

समिति, मंत्रालय/ एनडीटीएल से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को समय से दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को अनुमोदन देने और इन्हें मंत्रालय को भेजने के लिए ऐसी सभी बैठकें समय से आयोजित की जाएं ।

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

निर्देशानुसार, एनडीटीएल के सक्षम प्राधिकारी की सभी बैठकें प्रयोगशाला के दस्तावेजों का अनुमोदन प्राप्त करने और लेखापरीक्षा प्राधिकरण को दस्तावेजों की समयबद्ध प्रस्तुनति सुनिश्चिदत करने के लिए समय पर आयोजित की जाएंगी ।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्ष 2019-20 के लिए संपरीक्षित लेखाओं के विवरण सहित वार्षिक रिपोर्टें पहले ही संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए एनडीटीएल की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि शासी निकाय की बैठक 15.06.2021 को निर्धारित की गई थी । तथापि, 15.06.2021 से 28.06.2021 तक प्रयोगशाला की वाडा लेखापरीक्षा के कारण, उक्त बैठक स्थगित कर दी गई और 24.08.2021 को आयोजित की गई ।

जहां तक प्रयोगशाला के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं की वस्तु स्थिति का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि अंतिम एसएआर 09.02.2022 को प्राप्त हुआ । एनडीटीएल के सामान्य निकाय/ शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा अंतिम एसएआर पर एटीआर 24.03.2022 को अनुमोदित किया गया ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वटय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

**(सिफारिश क्रम सं. 21)**

समिति पाती है कि विलंब का अन्य कारण महालेखापरीक्षा महानिदेशक (सीई) से वर्ष 2015-16 से 2018-19 का अंतिम एसएआर प्राप्तई करने में हुआ 05 से 10 माह का विलंब था, और इसलिए, मंत्रालय/ एनडीटीएल से यह सुनिश्चिपत करने कि लेखापरीक्षा कार्य समय से पूरा हो, लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने और यदि आवश्यक हो तो लेखापरीक्षा में हो रहे विलंब के मामले को उच्चतम स्तर पर लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के साथ उठाने की सिफारिश करती है ।

**सरकार का उत्तर**

अंतिम एसएआर में तेजी लाने के लिए, लेखापरीक्षा अधिकारियों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है और समय-समय पर अनौपचारिक रूप से उन्हें याद दिलाया जाता है ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वटय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

**(सिफारिश क्रम सं. 22)**

समिति इस बात की सराहना करती है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) ने भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), नई दिल्ली के संबंध में दिनांक 05.01.2021 की अपनी पूर्व की बैठक में समिति दवारा दिए गए निदेश का संज्ञान लिया है, और आवश्यक दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को पूरा करने की समय-सीमा दर्शाते हुए अपने नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। समिति, संसद के समक्ष दस्तावेजों को समय से रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाए गए उपचारात्मक उपायों को भी नोट करती है।

तथापि, इसके साथ ही, समिति, आशा करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि प्रस्तावित सभी उपचारात्मक उपायों और जारी किए गए एसओपी का सख्ती से अनुपालन किया जाता है, ताकि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी निकाय/संगठन इत्यादि द्वारा भविष्य में कोई विलंब न हो, जैसाकि सचिव दवारा समिति के समक्ष आश्वासन दिया गया था।

**सरकार का उत्तर**

एनडीटीएल द्वारा एसओपी में दी गई कार्रवाई का पालन किया जा रहा है और देरी से बचने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वटय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

***

**<u>परिशिष्ट -दो</u>**

**सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 01.08.2022 को हुई तेरहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।**

**<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)</u>**

समिति की बैठक सोमवार, 1 अगस्त, 2022 को 15:00 बजे से 15:30 बजे तक समिति कक्ष "ग", संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय - सभापति

**<u>सदस्य</u>**

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री एस. रामलिंगम
6. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
7. श्री अशोक कुमार यादव

**<u>सचिवालय</u>**

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

**X X X X X**

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर चार प्रारूप प्रतिवेदनों और नौ की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को विचार करने के लिए लिया :-

i. **X** **X** **X** **X** **X**;
ii. **X** **X** **X** **X** **X**;
iii. **X** **X** **X** **X** **X**;
iv. **X** **X** **X** **X** **X**;
v. **X** **X** **X** **X** **X**;
vi. **X** **X** **X** **X** **X**;
vii. **X** **X** **X** **X** **X**;
viii **X** **X** **X** **X** **X**;
ix **X** **X** **X** **X** **X**;
x राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने पचपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई;
xi **X** **X** **X** **X** **X**;
xii **X** **X** **X** **X** **X**; और
xiii **X** **X** **X** **X** **X**.

4. विचार-विमर्श के बाद, समिति द्वारा बिना किसी संशोधन के प्रतिवेदन और की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को स्वीकार किया गया। समिति ने सभापति को संबंधित मंत्रालय/विभाग से तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

5-10. **X** **X** **X** **X** **X**

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

-----